UPSB010020462021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारी– **हरिकेश कुमार,** (उच्चतर न्यायिक सेवा), UP1822

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं.– 165/2021,

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह

धारा–16(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986,
थाना–पिपरी, जनपद सोनभद्र

–: निर्णय :–

1. प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा वाद संख्या–1820 सन् 2020, राज्य बनाम अनिल सिंह, अन्तर्गत धारा–14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के मामले में पारित आदेश दिनांक 31.03.2021, जिसके द्वारा विपक्षी/अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र स्व. सत्यनारायण सिंह, निवासी हिण्डालको पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनुकूट, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र की निम्नलिखित सम्पत्ति/वाहनों को धारा–14(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क करने के उपरांत उक्त वाहन के संबंध में धारा–16(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किए जाने के आशय से पत्रावली इस न्यायालय को संदर्भित की गयी है। सम्पत्ति/वाहनों का विवरण निम्नलिखित है–

1. ग्राम जोकाही, खाड़पाथर, मुर्धवा एवं सुपाचुआ में **गाटा संख्या–159ख, क्षेत्रफल– 0.0500 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 500**, मूल्यांकन दर– 6300/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 31,50,000/–रू०, **गाटा संख्या–155ग, क्षेत्रफल– 0.0125 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 125**, मूल्यांकन दर– 6300/–रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि 7,87,500/– रू0, **गाटा संख्या–159ग, क्षेत्रफल– 0.0255 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर 255,** मूल्यांकन दर 6300/– रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धन राशि–16,06,500/– रू०, **गाटा संख्या–160घ, क्षेत्रफल– 0.0075 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 75,** मूल्यांकन दर– 6800/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 5,10,000/– रू०, **गाटा संख्या–3811ग क्षेत्रफल–0.0620 हेक्टेयर**, **गाटा संख्या–812क** क्षेत्रफल 0.3850 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3816** क्षेत्रफल–0.5190 हेक्टेयर, **गाटा संख्या– 3820** क्षेत्रफल 0.9430 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3821** क्षेत्रफल–0.3500, **गाटा संख्या 3822** क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर, **गाटा संख्या– 3823** क्षेत्रफल– 0.2730 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3824ख** क्षेत्रफल 1.1390 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 4956ख** क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर, कुल रकबा 3.9360 हेक्टेयर, सर्किल रेट 8 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से कीमती–31,48,800/–रू0,

2. एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र **खाता संख्या– 50200031793716** कुल धनराशि–2,94,391.78/–रू0,

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.06.20 13:48:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

3. एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (राजेश्वरी इन्टरप्राईजेज प्रोपेराइटर– अनिल कुमार सिंह) **खाता संख्या– 50200012785130** कुल धनराशि– 3,06,687.07/–रू०,

4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र **खाता संख्या– 11575547253** कुल धनराशि–3,69,346.25/–रू0

5. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **UP64 C 2761 मिनी बस**

6. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **UP67F 4444 स्कार्पियो** (उक्त वाहन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–180/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 114, 34 भादवि में दिनांक 02.10.2019 को घटना में प्रयुक्त पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में निरूद्ध है।)

2. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रभारी निरीक्षक थाना पिपरी, जिला सोनभद्र की ओर से दिनांक 09.07.2020 के माध्यम से, जिसकी पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा संस्तुति की गयी, जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अनिल सिंह पुत्र स्व० सत्यनारायण सिंह निवासी हिण्डालको पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनुकूट, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र का एक संगठित गिरोह है तथा एक संगठित गिरोह के माध्यम से अपराध कारित करके काफी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अनिल सिंह उपरोक्त के विरूद्ध हत्या, बल्वा, मारपीट, लोक सम्पत्ति क्षति, विधि विरुद्ध जमाव, जान से मारने की धमकी रोड जाम का अभियोग पंजीकृत है। गिरोह की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अनिल सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं०–06/20 धारा 3(1) उ०प्र०, गिरोबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1988 पंजीकृत हो चुका है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है। अभियुक्त अनिल सिंह उपरोक्त ने स्वयं तथा गिरोह की आपराधिक गतिविधियों से काफी सम्पत्ति अर्जित किया है तथा इसके द्वारा जमीन, कीमती मकान, विभिन्न बैंको में भिन्न–भिन्न खाते खोलकर काफी पैसा जमा किया गया है तथा व्यवसायिक व निजी वाहन का स्वामी है। इसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है–

1. ग्राम जोकाही, खाड़पाथर, मुर्धवा एवं सुपाचुआ में गाटा संख्या–159ख, क्षेत्रफल– 0.0500 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 500, मूल्यांकन दर– 6300/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 31,50,000/–रू०, गाटा संख्या–155ग, क्षेत्रफल– 0.0125 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 125, मूल्यांकन दर– 6300/–रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि 7,87,500/– रू0, गाटा संख्या–159ग, क्षेत्रफल– 0.0255 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर 255, मूल्यांकन दर 6300/– रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धन राशि–16,06,500/– रू०, गाटा संख्या–160घ, क्षेत्रफल– 0.0075 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 75, मूल्यांकन दर– 6800/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 5,10,000/– रू०, गाटा संख्या–3811ग क्षेत्रफल–0.0620 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 812क क्षेत्रफल 0.3850 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3816 क्षेत्रफल–0.5190 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 3820 क्षेत्रफल 0.9430 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3821 क्षेत्रफल–0.3500, गाटा संख्या 3822 क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 3823 क्षेत्रफल– 0.2730 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3824ख क्षेत्रफल 1.1390 हेक्टेयर, गाटा संख्या 4956ख क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर, कुल रकबा 3.9360 हेक्टेयर, सर्किल रेट 8 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से कीमती–31,48,800/–रू0,

2. आराजी नं०–185 में रिहायशी मकान जो खतौनी ग्राम जोकाही तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट के नाम से दर्ज है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रूपया है।

3. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट सोनभद्र के पत्र से वार्ड नं० 6 गाडगे नगर का निवास प्रमाणित है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये है।

4. यूको बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र खाता संख्या–01430110105627 कुल धनराशि 362.41/क० है।

5. यूको बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 01430110012529 कुल धनराशि 26129.28/रू० है।

6. एच०डी०एफ०सी बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 50200031793716 कुल धनराशि 294391.78 रुपये है।

7. एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (राजेश्वरी इन्टरप्राईजेज प्रोपेराइटर– अनिल कुमार सिंह) खाता संख्या– 50200012785130 कुल धनराशि– 3,06,687.07/–रू०,

8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 11575547253 कुल धनराशि–3,69,346.25/–रू0

9. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या UP64 C 2761 मिनी बस

10. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या UP67F 4444 स्कार्पियो (उक्त वाहन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–180/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 114, 34 भादवि में दिनांक 02.10.2019 को घटना में प्रयुक्त पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में निरूद्ध है।)

उपरोक्त सम्पत्ति आपराधिक गतिविधियों से स्वयं एवं गिरोह के द्वारा अर्जित की गयी है, जो नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किये जाने योग्य है। उक्त आधार पर अभियुक्त अनिल सिंह उपरोक्त की सम्पत्ति उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–14(1) के अंतर्गत कुर्क किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रभारी निरीक्षक पिपरी की उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के द्वारा अपने **आदेश दिनांकित 20.07.2020** के द्वारा विपक्षी/अभियुक्त अनिल सिंह के उपरोक्त सम्पत्ति/बैंक अकाउंट/वाहनों को कुर्क किया गया तथा उक्त सम्पत्ति/बैंक अकाउंट/वाहनों को अग्रिम आदेश तक प्रभारी निरीक्षक पिपरी की अभिरक्षा में रखा गया तथा विपक्षी/अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी को तीन माह के अन्दर अपना अभिकथन/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। विपक्षी/अभियुक्त जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी आपत्ति प्रस्तुत किया जो जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र न्यायालय की पत्रावली में का.सं.–12क/1 ता 12क/11 के रूप में संलग्न है, जिसमें यह कथन किया गया कि मुकदमा उपरोक्त में पारित आदेश दिनांक 20. 07.2020 द्वारा आरोप लगाते हुये कि ''आदेश में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी द्वारा बतौर गैंगस्टर अर्जित की गयी है,'' अं०धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि० 1986 आपत्तिकर्ता की सम्पत्ति कुर्क किया गया है। उक्त आदेश में आपत्तिकर्ता पर यह आरोप लगाया गया है कि आदेश में दर्शित सम्पत्ति, जमीन मकान व वाहन बिना किसी आय के श्रोत के गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों द्वारा अर्जित किया गया है। आपत्तिकर्ता को उक्त आदेश की प्रति जेल में दिनांक 24.7.2020 को प्राप्त करायी गयी है एवम् अपेक्षा की गयी है कि 90 दिवस के अन्तर्गत प्रार्थी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि आदेश के क्रम सं० 1 से 10 में वर्णित सम्पत्ति, जमीन, मकान व वाहन आपत्तिकर्ता द्वारा बतौर गैंगस्टर, अपराध के द्वारा और विधि विरूद्ध तरीके से अर्जित नहीं किया गया है। आपत्तिकर्ता को प्रयास के बावजूद सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आधार की प्रतिलिपि नहीं दिया गया है जिसकी वजह से आपत्तिकर्ता प्रभावशाली, संवैधानिक एवम् कानूनी उत्तर देने में असमर्थ है। गैंगस्टर का मुकदमा अ०सं० 5/2020 थाना पिपरी सोनभद्र पर कायम कराने के लिये जो गैंगचार्ट तैयार किया गया, उसमे जिस प्रकृति के अपराध दर्शाये गये हैं उन्हें किसी भी प्रकार धनार्जन के लिये किया जाना नहीं कहा जा सकता और न ही किसी ऐसे लाभ के लिये जिनसे कोई गैंगस्टर सम्बन्धित होता है। आपत्तिकर्ता श्रीमान जी के समक्ष सम्पत्ति के सन्दर्भ में चुनावों के समय प्रस्तुत सम्पत्ति के उपलब्ध हुये विवरण / शपथपत्र की फोटो प्रति व चुनाव के सन्दर्भ में अन्य उपलब्ध कागजात की फोटो प्रति बतौर प्रदर्श 1 (कुल वर्क) इस आपत्ति के साथ प्रस्तुत कर रहा है। नोटिस / आदेश के क्रम सं 1 पर वर्णित सम्पत्ति **आराजी सं०**

159ख स्थित ग्राम जोकाही (खाड़ पाथर) रकबा 500 वर्ग मीटर के बारे में अवगत कराना है कि आपत्ति कर्ता के पिता इस गाटे के 1500 वर्ग मीटर के स्वामी थे जो पिता और माता की मृत्यु के पश्चात तीन सगे भाइयों अनिल कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह) में बंटकर प्रत्येक भाई को 500 वर्ग मीटर प्राप्त हुयी है। इसी क्रमांक 1 में आगे वर्णित आराजी **सं० 155 ग** रकबा 0.125 हे0 व **159ग** रकबा 0.255 हे० स्थित ग्राम जोकोही (खाड़ पाथर) के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ये दोनों आराजी आपत्तिकर्ता द्वारा **दिनांक 21.07. 2003 को आराजी के तत्समय स्वामी नसीम खां व जब्बार खां पुत्रगण स्व० इबादत खां** निवासी रेनूकूट सोनभद्र से मु० 1,80,000/– में क्रय किया गया था जिससे कोई आपराधिक कृत्य न ही जोड़ा गया है, न जुड़ा है और न ही 2003 में अपराधी होने का कोई रिकार्ड ही प्रस्तुत किया गया है। क्रमांक 1 में आगे वर्णित **आराजी सं० 160 घ** रकबा 0.075 हे0 स्थित ग्राम जोकाही (खाड़ पाथर) यह आराजी आपत्तिकर्ता द्वारा **दिनांक 02.07.2013 को तत्समय स्वामी जनार्दन सिंह** पुत्र बड़ाई सिंह निवासी रेनूकूट सोनभद्र से मु० 2,25,000/– में क्रय किया गया था जिसके सन्दर्भ में मु० 25,000/– नकद व मु० 2,00,000/– जरिये चेक भुगतान किया गया था। इस बैनामें के सन्दर्भ भी कोई आपराधिक कृत्य न ही जोड़ा गया है और न ही जुड़ा है। क्रमांक 1 में आगे वर्णित **गाटा सं० 3811 ग** रकबा 0.620हे०(0.621 हे0), **गाटा सं० 3820** रकबा 0.9430हे0, **गाटा सं0 3812क** रकबा 0.38500 (0.3849हे0), **गाटा सं० 3816** रकबा 0.5190हे० (0.518680), **गाटा सं.–3820** रकबा 0.9430हे (0.942920), **गाटा सं० 3821** रकबा 0.3500हे0, **गाटा सं. 3822ग** रकबा 0.2000 हे० (0.1900 हे०) गाटा सं0 **3824क/1** रकबा 1.1390 हे० (1.1385 हे०), **गाटा सं० 3823** रकबा 0.2730 हे0 (0.2731 हे0), **गाटा सं0 4956ख** रकबा 0.650 हे0 समस्त स्थित ग्राम सुपाचुआ तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि **आपत्तिकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में दिनांक 04 जुलाई को आराजी के तत्समय स्वामी श्री महानन्द सिंह** पुत्र श्री राजबली सिंह से मु० 4,50,000/– में कय किया गया था इस बैनामें के सन्दर्भ भी कोई आपराधिक कृत्य न ही जोड़ा गया है और न ही जुड़ा है। नोटिस आदेश के **कम सं 2 पर वर्णित सम्पत्ति आराजी सं० 185** स्थित ग्राम जोकाही रकबा में स्थित मकान आपत्तिकर्ता के द्वारा सन 2002 के पूर्व ही बना लिया गया था जिसके सन्दर्भ में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा आपत्ति कर्ता के पिता स्व० सत्यनारायण सिंह के विरूद्ध मूल वाद सं० 143 सन् 2002 प्रस्तुत किया गया था जो आज की तारीख में भी सुनवायी हेतु लम्बित है जिसमें आपत्तिकर्ता व उसके भाइयों ब्रजेश कुमार सिंह व राकेश कुमार सिंह का नाम पिता जी की मृत्यु के बाद बतौर प्रतिवादीगण प्रतिस्थापित करा दिया गया है। नोटिस/आदेश के **क्रम से 3 पर वर्णित वार्ड नं0 5 गाडगे नगर के मकान** निवास साइज 10x52 वर्ग फीट जल निगम द्वारा श्री महादेव पुत्र स्व० **जोधी को पट्टा** किया गया था जिसमें एक टिन शेड है जो आपत्तिकर्ता का नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त जगह की बतौर कस्टोडियन देखभाल की जाती है जो आपत्तिकर्ता का सामयिक निवास भी है। आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त जगह पर कोई निर्माण स्वयं नहीं किया गया है। नोटिस/आदेश के **कम सं० 4** पर वर्णित **UCo बैंक शाखा रेनूकुट के खाता सं० 01430110105627** की धनराशि आपत्तिकर्ता के आय के स्रोत से जमा है। नोटिस/आदेश के **कम सं० 5** पर वर्णित UCo बैंक शाखा रेनुकूट के **खाता सं० 01430110012529** आपत्तिकर्ता **की पत्नी श्रीमती ममता सिंह** के नाम से है है जो उन्हीं के द्वारा संचालित होता है इसके सन्दर्भ में पासबुक की फोटो बतौर प्रदर्श–8, (1 वर्क) संलग्न है। इस आपत्तिकर्ता की पत्नी श्रीमती ममता सिंह भी 2009 से 2019 तक लगातार विदेशी शराब के दुकान की अनुज्ञापी रही है और उनके द्वारा भी पैन नं० CKPPS77206 पर इनकम टैक्स जमा किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में रिटर्न बतौर प्रदर्श–9 (कुल 10 वर्क) इस आपत्ति के साथ संलग्न है। नोटिस/आदेश के **कम सं० 6** पर वर्णित **HDFC बैंक शाखा रेनूकूट का खाता सं० 50200031793715** की धनराशि आपत्तिकर्ता के व्यवसायिक आय के श्रोत से जमा है इस खाते में भी जमा धनराशि किसी भी प्रकार से अपराध से सम्बन्धित नहीं है। नोटिस/आदेश के कम

सं० 7 पर वर्णित HDFC bank शाखा रेनूकूट का **खाता सं० 50200012785130 की धनराशि** आपत्तिकर्ता की एक अन्य व्यवसायिक साझेदारी फर्म राजर्षि इण्टर प्राइजेज से होने वाली आय है न कि अपराध से अर्जित की हुयी। नोटिस/आदेश के **क्रम सं० 8** पर वर्णित SBI बैंक शाखा **रेनूकूट के खाता सं0 11575547253** में दर्शायी गयी धनराशि आपत्तिकर्ता के आय के श्रोत से अर्जित की गयी है। आय के श्रोत के बारे में सम्पूर्ण विवरण भी इस आपत्ति में दिया जा रहा है। नोटिस/आदेश के **क्रमांक 9** पर वर्णित मिनी बस सं० UP64C2761 पारिवारिक सहयोग से फाइनेन्स कराकर लिया गया है। नोटिस आदेश के **कमांक 10** पर वर्णित स्कार्पियो जीप सं० UP67-4444 आपत्तिकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत आय, पारिवारिक सहयोग से यूको बैंक रेनूकूट सोनभद्र से फाइनेन्स कराकर लिया गया है जिसे अपराध से अर्जित धन द्वारा वर्ष 2010 में क्रय किया जाना किसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है। यह कहना व मानना सर्वथा गलत आधारहीन है कि आपत्ति कर्ता की अपनी कोई आमदनी नहीं रही है और आपत्ति कर्ता की सम्पत्ति बतौर गैंगस्टर अपराध द्वारा अर्जित की गयी है। **आपत्ति कर्ता एक व्यवसायी, ठेकेदार तथा कृषक रहा है। आपत्तिकर्ता को अपने ठेकेदारी, व्यवसाय व कृषि से निरन्तर अच्छी आमदनी होती रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आमदनी कभी छिपाया भी नहीं गया।** आपत्ति. कर्ता का PAN NO AVBPS7702D और आपत्तिकर्ता के अन्य फर्म मे० सिंह इण्टर प्राइजेज का PAN NO AAJFM 3512C है। आपत्तिकर्ता लगातार रिटर्न/टैक्स भी जमा करता चला आ रहा है। आय के श्रोतों के सन्दर्भ में विवरण इस प्रकार है कि आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत तौर पर वर्ष **2000 के पूर्व से ही 'ए' श्रेणी का ठेकेदारी का कार्य सन् 2000 से ही काफी बड़े स्तर पर बिना किसी विपरीत टिप्पणी के करता चला आ** रहा है। इस सन्दर्भ में प्रमाण स्वरूप शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तुर्रा मुरलीधन सोनभद्र द्वारा प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। आपत्तिकर्ता की **प्रोपराइटरशिप फर्म मे० सिंह इण्टर प्राइजेज भी बी श्रेणी में ठेकेदारी के कई कार्य सन् 2000 के पूर्व** से ही कर रही है जिससे भी आपत्तिकर्ता की आय होती रही। लेकिन किसी ठीकेदारी के कार्य में कभी कोई विपरीत टिप्पणी न तो आपत्तिकर्ता को मिली और न ही आपत्तिकर्ता के फर्म को। **मे० सिंह इण्टर प्राइजेज की 'बी' श्रेणी में पहचान और पंजीकरण के सन्दर्भ में शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तुर्रा, सोनभद्र** के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। स्वयं के व फर्म के ठेकेदारी के कार्य के सन्दर्भ में अवगत कराना है शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 50 लाख रू० की राशि से ज्यादा का कार्य ठेकेदारी के अन्तर्गत आपत्तिकर्ता की फर्म मे० सिंह इण्टर प्राइजेज द्वारा किया गया है जिसके सन्दर्भ में उपलब्ध कार्यादेशों की फोटो प्रति इस आपत्ति के साथ संलग्न है। वर्ष 2002–04 में आपत्तिकर्ता द्वारा कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उ०प्र० जल निगम में करीब 36 लाख का कार्य किया गया। परियोजना प्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उ०प्र० जल निगम के कार्यालय सोनभद्र द्वारा पत्रांक 461/38 द्वारा दिनांक 28.06.2004 को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। **सन् 2018 व उसके पिछले कुछ वर्षो में आपत्तिकर्ता के फर्म द्वारा कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उ०प्र० जल निगम में करीब 2 करोड़ 50 लाख का कार्य किया गया। परियोजना प्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उ०प्र० जल निगम के कार्यालय सोनभद्र द्वारा पत्रांक 2439/R-10/235 द्वारा दिनांक 6.12.2018 को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।** आपत्तिकर्ता की एक अन्य व्यवसायिक साझेदारी फर्म राजर्षि इण्टर प्राइजेज भी हैं जिससे आपत्तिकर्ता **पतंजलि चिकित्सालय** से सम्बन्धित व्यवसाय होता रहा है जिससे प्राप्त लाभ की रकम भी बैंक में ही जमा होती रही है। आपत्तिकर्ता के आय का एक स्रोत **मिनी बस UP64C-2761 का संचालन** भी रहा है जिसका जिक्र आदेश नोटिस के क्रमांक 7 पर किया गया है। इस मिनी बस का संचालन वैध परमिट प रेनूकूट से बीजपुर के लिये सवारी ढोने के लिये किया जाता रहा है। वर्ष 2009 से **रिलायंस टेलीकाम इन्फास्ट्रक्चर लि० के BTS रेण्ट के तौर पर आपत्तिकर्ता को रू० 5000/– प्रतिमाह** बैंक के खाते के द्वारा प्राप्त हुआ है। किराये की यह रकम एक दो वर्ष के बाद ही रू0 8500/– प्रतिमाह हुयी। **आपत्तिकर्ता वर्ष 2007 से वर्ष 2017 तक रेनूकूट नगर पंचायत का अध्यक्ष भी रहा** जिसके

शिष्टाचार स्वरूप आपत्तिकर्ता को वर्ष 2007 से 2012 तक (करीब 60 माह) रू० 5000/– प्रतिमाह तथा वर्ष 2012 से 2017 (करीब 60 माह) तक रू0 15,000/–प्रतिमाह बैंक के खाते में प्राप्त होता रहा है जिसे अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत रेनूकूट सोनभद्र के द्वारा प्रमाणित कराया जा सकता है। आपत्तिकर्ता को विदेशी शराब की दुकान भी वर्ष 2018–2021 के लिये आबंटित हुयी थी जिसका अनुज्ञापी आपत्तिकर्ता रहा और उससे लाभ अर्जित किया यह व्यवसाय भी आपत्तिकर्ता के आमदनी का श्रोत रहा है। **आपत्तिकर्ता के आय का एक स्रोत वरासत से प्राप्त व कयशुदा कृषि भूमि भी है जिससे अन्य खर्च के बाद भी करीब रू० 50,000/– से ज्यादा की प्रतिवर्ष आय होती रही** है जिसका जिक भी इनकम टैक्स रिटर्न में किया गया है। गैंगचार्ट के मुकदमों की प्रकृति, विषयवस्तु, उनके कायम होने की तिथि व वजह पर भी विचार किया जाता तो किसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि आपत्तिकर्ता अपराध की दुनिया का व्यक्ति है और अपराध ही आपत्तिकर्ता का पेशा है जिसका प्रयोग हर प्रकार के स्वलाभ के लिये किया जाता है। उक्त आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कुर्क की गयी सम्पत्ति को अवमुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त आपत्ति के साथ आपत्तिकर्ता/अभियुक्त द्वारा **सूची 12ख/12** के माध्यम से चुनाव संबंधी कागजात, किसान बही की फोटोस्टेट, बैनामा दस्तावेज की फोटोकॉपी, वाद पत्र की नकल व प्रश्नोत्तरी व प्रमाण पत्र, पासबुक की फोटोकॉपी, फाइनेंस के कागजात, वाहन आर.सी., आई.टी.आर. के कागजात, ठेकेदारी के कागजात, किराये के दस्तावेज, शराब की दुकान के कागजात दाखिल किया गया है।

4. विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा प्रभारी निरीक्षक पिपरी, जनपद सोनभद्र की रिपोर्ट तथा विपक्षी अनिल सिंह की ओर से प्रस्तुत आपत्ति एवं आपत्ति के साथ संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करने के **उपरान्त दिनांक 31.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए नोटिस दिनांकित 20.07.2020 के कमांक 2, 3, 4, 5 पर अंकित सम्पत्ति/मकान/बैंक खाता, खाताधारक के पक्ष में अवमुक्त किया गया** तथा कमांक 1, 6, 7, 8, 9, 10 पर अंकित सम्पत्ति के संबंध में धारा–16(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किए जाने के आशय से पत्रावली इस न्यायालय को संदर्भित की गयी है।

5. पत्रावली इस न्यायालय को संदर्भित किए जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को नोटिस जारी की गयी। विपक्षी/अभियुक्त उपस्थित आया। विपक्षी/अभियुक्त **द्वारा 4ख आपत्ति** प्रस्तुत की गई, जिसमें विपक्षी/अभियुक्त अनिल सिंह द्वारा कथन किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 31.03.2021 पारित करते समय आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नहीं देखा तथा सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। नोटिस दिनांकित 20.07.2020 में कमांक 1 पर वर्णित सम्पत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आपित्त में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है। मातहत न्यायालय ने कुर्की आदेश के कम सं० 6, 7 एवं 8 के बाबत प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को न तो देखा और न ही इस बाबत कोई अभिमत व्यक्त किया प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा कम सं० 6 में अपने एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र के खाता सं० 502000031793716 जिसकी कुल धनराशि रू0 2,94,391.78 है के सन्दर्भ में इस कथन को प्रस्तुत किया कि उक्त धनराशि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के ठेकेदारी एवं व्यावसायिक आय से जमा की गयी है स्वीकृत रूप से प्रार्थी को नगर पंचायत रेनूकुट सोनभद्र से रू0 10,29,482/– का भुगतान सन् 2008 से 2018 के मध्य शिष्टाचार मद से प्राप्त हुआ। इसके अलावा प्रार्थी के ठेकेदारी आदि के जरिये प्रार्थी ने वैध धनराशि अर्जित की जो प्रार्थी की मेहनत से अर्जित पूँजी है इसके अलावा इनकम टैक्स के रिटर्न में समस्त तथ्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है किसी प्रकार का कोई करापवंचन नहीं है। उक्त खाते में जो धनराशि जमा है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी **विदेशी मदिर की दुकान 'मंशा चित्र मन्दिर'** से प्राप्त बिकी का

पैसा प्रतिदिन /साप्ताहिक नगद जमा किया जाता था। इसी खाते से शराब/माल मॅगाने के लिए डीडी तथा आरटीजीएस के माध्यम से रावर्ट्सगंज स्थित होलसेलर को दिया जाता था उक्त खाते में जो धनराशि जमा है वह शराब की दुकान से हुई बिक्री आदि से सम्बन्धित है। जिसके सन्दर्भ में समस्त विवरण मौजूद है फिर भी सरसरी तौर पर गलत अभिमत व्यक्त करके खाते को अवमुक्त नहीं किया गया। कुर्की नोटिस के कम सं0 7 में एचडीएफसी बैंक शाखा रेनुकूट सोनभद्र राजर्षि इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर अनिल कुमार सिंह खाता सं० 50200012785130 कुल धनराशि रू0 3,06,687.07 के सन्दर्भ में भी फर्म का कारोबार व आय के श्रोत को नहीं देखा गया। कुर्की आदेश में **कम सं० 8** पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेनूकुट जनपद सोनभद्र के **खाता सं० 11575547253** की कुल धनराशि रू० 3,69,346.25 को यह कहकर अवमुक्त नहीं किया कि कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया **जबकि उक्त खाते से प्रार्थी को नगर पंचायत द्वारा पैसा प्राप्त होता था बतौर नगर पंचायत** अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मानदेय दिया जाता था चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होता था जिसका सम्पूर्ण विवरण नगर पंचायत रेनूकुट के कार्यालय में भी उपलब्ध है। प्रार्थी आपत्तिकर्ता द्वारा नगर पंचायत रेनूकुट से प्राप्त शिष्टाचार मद व्यवसाय के श्रोत अर्जित सम्पत्ति आदि सभी तथ्यों को मातहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु फिर भी मातहत न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है प्रार्थी/स्पष्टीकरणदाता के बैंक खातों को मनमानी व्याख्या से अवमुक्त नहीं किया जबकि उक्त खातों के बाबत स्पष्टीकरण मौजूद था। कुर्की आदेश के कम सं० 9 में प्रदर्शित वाहन सं० यूपी 64सी 2761 जो मिनी बस है, उसे भी मनमानी व्याख्या देते हुए अवमुक्त नहीं किया जबकि प्रार्थी स्पष्टीकरण दाता द्वारा मातहत न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया था कि **प्रार्थी की व्यक्तिगत आय एवं पारिवारिक सहयोग से वाहन फाइनेंस कराया गया था** जो 2001 में कय हुआ था जो पूरी तरह से फाइनेंस से प्राप्त किया गया था जिसके अभिलेख मातहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे विशेष तौर पर 2001 से लेकर नियमित रूप से दाखिल किये जा रहे आयकर रिटर्न पर भी उक्त वाहन के बाबत विवरण मौजूद था। हरगिज कोई तथ्य कभी भी छिपाया नहीं गया परन्तु मात्र दबाव बनाने के लिए तथा परिवार से आय का श्रोत समाप्त करने के लिए रंजिशन झूठी कार्यवाही की गयी है। कुर्की आदेश के कम सं० 10 पर वाहन सं० यूपी 67 एफ 4444 स्कार्पियो गाड़ी को **मुकदमा अपराध सं० 180/2019 में वांछित होना दर्शाया गया है।** उक्त कहानी भी झूठी एवं बेबुनियाद है। उक्त वाहन को प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा यूको बैंक से फाइनेंस कराया गया था। प्रार्थी वास्तव में उक्त वाहन का स्वामी है तथा वाहन के समस्त अभिलेख वैध है। प्रार्थी कुर्की आदेश में वर्णित समस्त चल व अचल सम्पत्ति का हकदार व्यक्ति है। प्रार्थी के समस्त अभिलेख वैध हैं। पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा सम्पत्तियां कय हुई है। बैंक खातों में व्यवसाय के पैसे जमा हुए हैं जिनकी निकासी भी व्यासायिक कार्यों के लिए ही हुई है इसके अलावा प्रदर्शित वाहन फाइनेंन्स के जरिये प्राप्त किये गये हैं जिनका स्पष्टीकरण भी अस्तित्व में मौजूद है। उक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/स्पष्टीकरण में वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा उपरोक्त में कुर्कशुदा समस्त चल व अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में अवमुक्त किये जाने हेतु यथोचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

आपत्तिकर्ता द्वारा **सूची 5ख/1** के माध्यम से खतौनी, पेमेण्ट स्टेटस की छायाप्रति, निर्वाचन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रशस्ति पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

6. दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं पर विश्वास व्यक्त किया गया–

1. श्रीमती कहकसा परविन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1999 (2)ए.सी.सी.719, इलाहाबाद
2. श्रीमती शांति देवी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., क्रिमिनल अपील नं. 1343/2006, निर्णीत दिनांक 22.01.2007,

3. बदन सिंह उर्फ बद्दू और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 2002 ए.सी.सी.365

4. राजबीर सिंह त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य, ए.आई.आर. ऑनलाईन 2018 इलाहाबाद 3533

7. आपत्तिकर्ता/अभियुक्त की ओर से **अतिरिक्त आपत्ति का.सं.–7ख** प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आराजी 159 ख की आराजी मुकदमे द्वारा प्रार्थी के पिता को सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.1993 से प्राप्त हुई। प्रार्थी सन् 1998 से इनकम टैक्स अदा करता चला आ रहा है प्रार्थी के इनकम टैक्स रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी की इनकम वर्ष 2003 तक रु0 4,00,000/– से ज्यादा की रही है तथा सन 2013 तक प्रार्थी की पूंजी रू0 25,00,000/– से ज्यादा की रही है। प्रार्थी द्वारा गलत तरीके से पूंजी प्राप्त कर क्रम सं० 1 पर वर्णित आराजी सं० 155, 159, 160घ क्रय नहीं किया गया है। क्रम सं० 1 पर वर्णित आराजी 155ग, 159ग रुपये 1,80,000/– का भुगतान कर आराजी कय किया गया है। विक्रेताओं से किसी प्रकार का कोई विवाद अपीलार्थी का नहीं रहा है। **आराजी 160घ जिस समय क्रय की गयी उस समय उसकी सरकारी मालियत रू0 7,29,000/– थी जिसे विक्रेता ने रू0 2,25,000/– में इसलिये विक्रय कर दिया क्यों कि भूमि की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात विक्रेता के लिये उपयुक्त नहीं था।** भूमि की चौड़ाई 20 फीट और लम्बाई 100 फीट थी। इस विक्रेता से किसी प्रकार का कोई विवाद अपीलार्थी का नहीं रहा है। सम्पत्ति को कम मूल्य पर प्राप्त करना किसी प्रकार के अपराध या आपराधिक कृत्य से जोड़ा जाना उचित नहीं और न ही जोड़ा गया है। विक्रेता को रू0 2,00,000/– का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के शाखा पिपरी सोनभद्र के स्वयं के खाता सं० 11575547253 के चेक सं0 779237 दिनांकित 2.7.2013 से प्रार्थी द्वारा किया गया है जो बैंक से दिनांक 5.7.5013 को डेबिट हुआ। **प्रार्थी के पिताजी ठेकेदार थे** और स्वयं के ट्रक पंजीयन सं० UP64 A-1161 के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय करते थे जो कामर्शियल आटोमोबाइल्स मेन रोड बैढ़न से फाइनेंस कराकर क्रय की गयी थी। इसके अलावा **अपीलार्थी के पिता का आटा चक्की और स्पेलर का व्यवसाय भी जनता फ्लोर मिल के नाम से था।** प्रार्थी के पिता के कार्य व्यवसाय, आमदनी के सन्दर्भ में 1979 से उपलब्ध दस्तावेज, कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा स्पेलर व आटा चक्की लगाने का लाइसेस शुल्क रसीद व इस व्यवसाय के सम्बन्ध में वाराणसी से कच्चा माल क्रय किये जाने व उसके ट्रांसपोर्टेशन से सम्बन्धित रसीद कुल 16 वर्क तथा बिजली के 15 किलोवाट के व्यवसायिक कनेक्शन से सम्बन्धित बिजली बिल कुल 2 वर्क प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है। पिताजी की मृत्यु वर्ष 2004 में हुयी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात वरासत से प्राप्त धन, स्वयं की पूंजी से 2006 में ग्राम सुपाचुओं में भू–सम्पत्ति महानन्द सिंह पुत्र राजबली सिंह से वर्ष 2006 में रू० 4,50,000.00 में क्रय की गई है। नोटिस / कुर्की आदेश दिनांक 20.07.2020 के क्रमांक 06 से जुड़े HDFC बैंक शाखा रेनूकूट का खाता सं0 50200031793716 प्रार्थी के नाम से है जो प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा विदेशी शराब दुकान क्रमांक 13382 स्थान चाचा कालोनी रेनूकूट सोनभद्र के संचालन के लिये खोला गया था जिसे प्रार्थी को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दिनांक 19.3.2018 को सम्पन्न ई लाटरी के माध्यम से बिक्री का लाइसेंस प्रदान करते हुये एलाट की गयी थी। इस खाते की राशि शराब की बिक्री से प्राप्त जमाराशि है. इसी खाते की धनराशि का प्रयोग दुकान के सन्दर्भ में शराब का स्टाक मेन्टेन करने के लिये शराब की खरीददारी के लिये किया जाता था। नोटिस/ आदेश के क्रम सं0 7 पर वर्णित HDFC बैंक शाखा रेनूकूट का खाता सं0 50200012785130 की धनराशि रू0 3,06,687.07 फर्म राजर्षि इण्टर प्राइजेज से सम्बन्धित पूंजी/जमाराशि आय है। आदेश के क्रम सं0 8 पर वर्णित SBI बैंक शाखा पिपरी रेनूकूट के खाता सं0 11575547253 में दर्शायी गयी धनराशि प्रार्थी के आय के श्रोत से अर्जित की गयी है। **प्रार्थी वर्ष 2008 से 02.04.2018 तक लगातार 10 वर्ष नगर पंचायत रेनूकूट का निर्वाचित अध्यक्ष रहा जिस हेतु प्रार्थी को नगर पंचायत रेनूकूट द्वारा 01.05.2008 से लगातार 02.04.2018 तक कुल 19 बार में कुल रू0 10,29,482/– चेक** के माध्यम से इसी खाते में भुगतान किया गया है। नोटिस /आदेश के क्रमांक 9 पर वर्णित मिनी बस सं० UP64C-2761

प्रार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत आय, पारिवारिक सहयोग से फाइनेन्स कराकर लिया गया था जिसके लिये प्रार्थी द्वारा रोहित आटोमोबाइल्स प्रा०लि० क्लब रोड वरुणा ब्रिज वाराणसी 221002 को दिनांक 28.9.2001 **मात्र रु० 25,000/– बतौर मार्जिन मनी नकद जमा किया गया था जिसकी रसीद प्रस्तुत की जा रही है। बस की पूरी कीमत रू0 5,17,882/–रही जिसको फाइनेन्स कराने के बाद बस का संचालन सवारियों को ढोने के लिये किया जा रहा था जिससे होने वाली आमदनी और कभी कभी प्रार्थी की अन्य श्रोत से हुई आमदनी ही फाइनेन्स की किस्त रू0 18,000/– लगभग प्रतिमाह जमा करने का जरिया थी।** नोटिस/आदेश के क्रमांक 10 पर वर्णित स्कार्पियो जीप सं० UP67F-4444 प्रार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत आय तथा यूको बैंक रेनूकूट सोनभद्र से सन् 2010 में रू0 7,50,000/– फाइनेन्स कराकर लिया गया था जिसके लिये रू0 2,58,587/–मार्जिन मनी का भुगतान प्रार्थी ने अपने बैंक खाते से किया गया था। वाहन की मूल कीमत रू० 10,08587/– थी जिसका भुगतान बैंक द्वारा चेक/ डी०डी० नं0 353790 दिनांकित 12.10.2010 द्वारा वाहन के डीलर स्टार आटोमोबाइल्स मुख्तियार गंज सतना म०प्र० को किया गया था। **परिवार में रहते हुये प्रार्थी को हमेशा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ममता का सहयोग मिलता रहा है जो स्वयं में एक व्यवसायी महिला रही हैं, जो वर्तमान में नगर पंचायत रेनूकूट की अध्यक्ष भी हैं,** जिनके द्वारा 2008 से 2018 तक लगातार हिण्डालको पेट्रोल पम्प के पास स्थित विदेशी शराब की दुकान का संचालन किया जाता रहा है जिससे हुयी आमदनी भी पारिवारिक सहयोग का जरिया रही।

सूची 8ख/1 के माध्यम से बिजली कनेक्शन के बिल, **सूची 8ख/4** के माध्यम से अभियुक्त के पिता व्यवसाय, आमदनी, लाइसेंस शुल्क के संबंध में रसीदे, **सूची 8ख/45** से जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त शराब बिक्री के लाइसेंस व बैंक द्वारा प्रमाणित स्टेटमेंट की छायाप्रति, **सूची 8ख/56** से शराब की दुकान से संबंधित लाइसेंस की प्रति सुपर स्टाकिस्ट्स (दुकानों में बिक्री के लिये शराब उपलब्ध कराने वाले ए.एस.पी एण्ड एसोसिएटस तथा देवेन्द्र राय से दुकान संचालित किये जाने के लिए शराब क्रय करने पर खरीददारी की रसीदे, उनके परिवहन के लिये जारी किये गये ट्राजिट पास), **सूची 8ख/194** से राजर्षि इण्टर प्राइजेज से संबंधित रजिस्ट्रेशन व टी.आई.एन. एलाटमेंट, पतंजलि द्वारा दिया गया अधिकार पत्र व खाता से संबंधित प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट, **सूची 8ख/224** से आमदनी के स्रोत के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट, सोनभद्र द्वारा पत्रांक 23/न.पं00/2021–22 दिनांकित 06.10.2021 द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त मानदेय का लिखित विवरण जारी किया गया जो वास्ते अवलोकन एस.बी.आई. रेनुकूट के प्रार्थी के खाते के स्टेटमेंट, **सूची 8ख/240** से मिनी बस नं. यू.पी.64सी2761 से संबंधित फाइनेंस की किस्त जमा किये जाने के संबंध में रसीदे, सूची 8ख/271 से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, एकाउण्ट स्टेटमेंट तथा **सूची पत्र 8ख/289** से अभियुक्त की पत्नी ममता का इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कागजात दाखिल किया गया है।

8. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा वाहन स्वामी/सम्पत्ति स्वामी/खाता धारक की उपरोक्त आपत्ति के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया गया है और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध क्रिया कलाप करके अवैध धन का अर्जन किया गया है और अवैध धन का अर्जन करके उपरोक्त वाहन/सम्पत्ति/धन का अर्जन किया गया है तथा उपरोक्त के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण उसके वाहन को जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा आलोच्य आदेश के माध्यम से कुर्क किया गया है। इस स्तर पर भी आपत्तिकर्ता के द्वारा कोई नवीन तथ्य अथवा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर उसकी आपत्ति निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

9. मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 20.07.2020 को अविधिक बताते हुए अपना तर्क प्रस्तुत किया गया। आक्षिप्त आदेश दिनांक 31.03.2021 के संबंध में कोई भी अभिकथन दौरान बहस नहीं किया गया है।

10. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा दिनांक 20.07.2020 को अभियुक्त अनिल सिंह को नोटिस अंतर्गत धारा–14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, के तहत कुल 10 सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु निर्गत किया गया, जो निम्नलिखित है–

1. ग्राम जोकाही, खाड़पाथर, मुर्धवा एवं सुपाचुआ में गाटा संख्या–159ख, क्षेत्रफल– 0.0500 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 500, मूल्यांकन दर– 6300/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 31,50,000/–रू०, गाटा संख्या–155ग, क्षेत्रफल– 0.0125 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 125, मूल्यांकन दर– 6300/–रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि 7,87,500/– रू0, गाटा संख्या–159ग, क्षेत्रफल– 0.0255 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर 255, मूल्यांकन दर 6300/– रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धन राशि–16,06,500/– रू०, गाटा संख्या–160घ, क्षेत्रफल– 0.0075 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 75, मूल्यांकन दर– 6800/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 5,10,000/– रू०, गाटा संख्या–3811ग क्षेत्रफल–0.0620 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 812क क्षेत्रफल 0.3850 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3816 क्षेत्रफल–0.5190 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 3820 क्षेत्रफल 0.9430 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3821 क्षेत्रफल–0.3500, गाटा संख्या 3822 क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 3823 क्षेत्रफल– 0.2730 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3824ख क्षेत्रफल 1.1390 हेक्टेयर, गाटा संख्या 4956ख क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर, कुल रकबा 3.9360 हेक्टेयर, सर्किल रेट 8 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से कीमती–31,48,800/–रू0,

2. आराजी नं०–185 में रिहायशी मकान जो खतौनी ग्राम जोकाही तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट के नाम से दर्ज है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रूपया है।

3. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट सोनभद्र के पत्र से वार्ड नं० 6 गाडगे नगर का निवास प्रमाणित है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये है।

4. यूको बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र खाता संख्या–01430110105627 कुल धनराशि 362.41/क० है।

5. यूको बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 01430110012529 कुल धनराशि 26129.28/रू० है।

6. एच०डी०एफ०सी बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 50200031793716 कुल धनराशि 294391.78 रुपये है।

7. एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (राजेश्वरी इन्टरप्राईजेज प्रोपेराइटर– अनिल कुमार सिंह) खाता संख्या– 50200012785130 कुल धनराशि– 3,06,687.07/–रू०,

8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेनुकूट जनपद सोनभद्र खाता संख्या– 11575547253 कुल धनराशि–3,69,346.25/–रू0

9. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या UP64 C 2761 मिनी बस

10. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या UP67F 4444 स्कार्पियो (उक्त वाहन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–180/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 114, 34 भादवि में दिनांक 02.10.2019 को घटना में प्रयुक्त पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में निरूद्ध है।)

अभियुक्त को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना स्पष्टीकरण/आपत्ति दिनांक 11.08.2020 को प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्ति के समर्थन में दाखिल प्रपत्रों को

दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त 10 सम्पत्तियों में से क्रम सं. 2 ता 5 तक को अवमुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि **क्रम सं. 2** पर उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में सिविल न्यायालय में मूलवाद सं. 143/2020 लंबित होने के कारण विपक्षी/अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किया गया है। जबकि **क्रम सं. 3** पर दर्ज सम्पत्ति को उ.प्र. जल निगम के पक्ष में अवमुक्त किया गया है। क्रम सं. 4 पर दर्ज कुर्कशुदा सम्पत्ति को सम्पत्ति/बैंक खाता जिसमें मात्र 362.41 रुपये जमा है, को जबाव से संतुष्ट होने के आधार पर अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किया गया है। इसी प्रकार क्रम सं. 5 पर अंकित कुर्कशुदा सम्पत्ति यूको बैंक की खाता सं. 14301100125229 को भी अभियुक्त की पत्नी ममता सिंह के नाम होने तथा उक्त के संबंध में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर अवमुक्त किया गया है। शेष सम्पत्तियों को पर्याप्त साक्ष्य न पाये जाने के कारण अवमुक्त नहीं किया गया।

11. विपक्षी की **क्रम सं.–1, 6, 7, 8, 9 व 10** पर अंकित कुर्कशुदा सम्पत्तियों के संबंध में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली को इस न्यायालय का संदर्भित किया गया है। इस न्यायालय में उपस्थित आकर अभियुक्त द्वारा अपनी आपत्ति 4ख व 7ख दाखिल की गयी है, जिसके समर्थन में सूची से दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल किया गया है। क्रम सं. 1 पर वर्णित सम्पत्ति ग्राम जोकाही, खाड़पाथर, मुर्धवा एवं सुपाचुआ में गाटा **संख्या–159ख**, क्षेत्रफल–0.0500 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर–500, मूल्यांकन दर–6300/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि– 31,50,000/–रू०, **गाटा संख्या–155ग,** क्षेत्रफल– 0.0125 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर– 125, मूल्यांकन दर– 6300/–रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि 7,87,500/– रू0, **गाटा संख्या–159ग**, क्षेत्रफल– 0.0255 हे. क्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर 255, मूल्यांकन दर 6300/– रू० प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धन. राशि–16,06,500/– रू०, **गाटा संख्या–160घ**, क्षेत्रफल– 0.0075 हेक्टेयर, क्षेत्रफल वर्गमीटर–75, मूल्यांकन दर– 6800/– रू0 प्रति वर्ग मीटर, मूल्यांकित धनराशि–5,10,000/– रू०, **गाटा संख्या–3811ग** क्षेत्रफल–0.0620 हेक्टेयर, गाटा संख्या– 812क क्षेत्रफल 0.3850 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3816** क्षेत्रफल–0.5190 हेक्टेयर, **गाटा संख्या– 3820** क्षेत्रफल 0.9430 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3821** क्षेत्रफल–0.3500, **गाटा संख्या 3822** क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर, गाटा **संख्या– 3823** क्षेत्रफल– 0.2730 हेक्टेयर, **गाटा संख्या 3824ख** क्षेत्रफल 1.1390 हेक्टेयर, गाटा **संख्या 4956ख** क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर, कुल रकबा 3.9360 हेक्टेयर, सर्किल रेट 8 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से कीमती–31,48,800/–रुपये है। **आराजी सं. 159ख** के संबंध में कथन किया गया है कि उक्त सम्पत्ति उसे अपने पिता स्व. सत्य नारायण सिंह व माता स्व. राधिका सिंह से वरासत में प्राप्त हुई है और 1405 फसली वर्ष में उनका नाम खतौनी में दर्ज हो चुका था, जिसके समर्थन में खतौनी का.सं.–4ख दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त **गाटा सं. 155ग, 159ग** को दिनांक 21.07.2003 को उसके मूल मालिक काबिज नसीम खां से क्रय किये जाने का कथन किया गया है। उक्त के समर्थन में विक्रय पत्र की छायाप्रति का.सं.–12ख/47 ता 12ख/77 दाखिल की गयी है। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से विदित है कि जो प्रतिफल धनराशि 1,80,000/–रुपये विक्रेता को दिया जाना दर्शित किया गया है, उक्त धन. राशि किस माध्यम और किस स्रोत से अदा की गयी है इस संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी की मालियत 3,04,000/–रुपये के स्थान पर मात्र 1,80,000/–रुपये प्रतिफल अदा किया गया है। **गाटा सं. 160घ** को उसके मूल मालिक जनार्दन सिंह से दिनांक 02.07.2013 को क्रय किये जाने का अभिकथन किया गया है उक्त के समर्थन में दाखिल विक्रय पत्र की छायाप्रति का.सं.–12ख/78 लगायत 12ख/91 के अवलोकन से विदित है कि उक्त सम्पत्ति की सरकारी मालियत 7,29,000/–रुपये थी, जिसे 2,25,000/–रुपये में क्रय किया गया है, उक्त के संबंध में प्रतिफल धनराशि 25,000/–रुपये नगद तथा 2,00,000/–रुपये चेक सं. 779237 भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से अदा किये जाने का अंकन विक्रय पत्र में है, किंतु उक्त धनराशि के क्रेता के खाते से डेबिट होने संबंधी कोई साक्ष्य आपत्तिकर्ता द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त **गाटा सं.–3811ग,**

3816, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824ख कुल रकबा 3.936हे. को मूल स्वामी महानंद सिंह से वर्ष 2006 में क्रय किये जाने का अभिकथन किया गया है। उक्त विक्रय पत्र की छायाप्रति का. सं. 12ख/92 लगातय 12ख/128 दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उक्त आराजी की सरकारी मालियत 7,41,863 रुपये थी जिसे 4,50,000/–रुपये में क्रय किया गया है किंतु उक्त प्रतिफल धनराशि किस आय के स्रोत एवं किस माध्यम से विक्रेता को अदा की गयी थी, इसके संबंध में आपत्तिकर्ता मौन है। जो स्पष्टीकरण जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वही इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। चालाकीपूर्वक मात्र गाटा सं. 160घ के प्रतिफल धनराशि के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। शेष आराजी के प्रतिफल के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह भ्रामक है। का.सं.–5ख/54 से विदित है कि अभियुक्त अनिल सिंह पर निम्नलिखित फौजदारी मुकदमें पंजीकृत है–

1. **मु.अ.सं.–823ए/2005**, अं.धारा–147, 341, 504, 506 भा.दं.सं.,
2. **मु.अ.सं.–203ए/2008**, धारा–143, 504, 379 भा.दं.सं.,
3. **मु.अ.सं.–219/2008**, धारा–3(1) लोक सम्पत्ति अधिनियम व 147 रेलवे एक्ट, 1980,
4. **मु.अ.सं.–556/2009,** अ.धारा–147, 452, 323, 504, 506 भा.दं.सं.,
5. **मु.अ.सं.–928/2010,** अं.धारा–147, 148, 307, 336, 323, 341, 422, 128 भा.दं.सं.,

6 मु.अ.सं.–929/2010, अं.धारा–147, 323, 504, 506 भा.दं.सं.,

7. मु.अ.सं.– 179ए/2012, धारा–147, 148, 323, 504, 506 भा.दं.सं.,

8 मु.अ.सं.–180/2012, धारा–143, 332, 188 भा.दं.सं.,

9. एन.सी.आर.नं.–58/2017, अंधारा–352, 504 भा.दं.सं.,

10 मु.अ.सं.–180/2012, धारा–147, 148, 149, 302, 114/34 भा.दं.सं.।

उक्त मुकदमों में से मात्र मु.अ.सं.–219/2008 निर्णीत हुआ है, शेष लंबित है। स्वीकृत रूप से अभियुक्त वर्ष 2008 से 2018 तक लगातार नगर पंचायत रेनुकूट का निर्वाचित अध्यक्ष रहा है। किसी भी निवर्तमान लोक सेवक के विरूद्ध सामान्यतः कोई भी मुकदमा विशेष परिस्थितियों में ही पंजीकृत किया जाता है। उक्त अवधि में ही अभियुक्त पर अधिकांश मुकदमें पंजीकृत हुए है। अभियुक्त का यह कथन कि उसे बतौर मानदेय कुल रुपये 10,29,482/– प्राप्त हुई थी, के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त धनराशि प्राप्त हुई हो तो कुर्कशुदा सम्पत्तियों उपरोक्त क्रम सं. 1 के क्रय करने हेतु उसका उपयोग किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा क्रम सं. 1 पर वर्णित सभी सम्पत्तियों की आय के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण अपूर्ण एवं भ्रामक है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

12. **क्रम सं. 6, 7 व 8** पर बैंक खाता सं. 50200031793716 कुल धनराशि 2,94,391.78 रुपये एच.डी.एफ.सी शाखा रेनुकूट, खाता सं. 5020001285130 एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा रेनुकूट धनराशि अंकन 3,06,687.07 रुपये, खाता सं. 11575547253 भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेनुकूट धनराशि 3,69,346.25 रुपये को कुर्क किये जाने के संबंध में कथन किया गया है कि उक्त धनराशि उसके व्यवसायिक आय के स्रोत से जमा की गयी है, किंतु किस व्यवसाय से कितनी आय हुई और उसमें से कितनी धनराशि उक्त खाते में जमा की गयी इस संबंध में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य संतोषजनक नहीं है। पूर्ण इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है जिससे आय के संबंध में उपधारणा की जा सके। ठेकेदारी से अथवा बतौर नगर पंचायत अध्यक्ष प्राप्त धनराशि उक्त खाते में जमा किये जाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विदेशी मदिरा की दुकान मंशा चित्र मंदिर के आय व्यय का भी विवरण संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार उक्त खाते की धनराशि किस आय के स्रोत से अर्जित की गयी है, के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं है।

13. **क्रम सं. 9** वाहन रजिस्ट्रेशन सं. यू.पी.64सी.2761 मिनी बस को कुर्क किये जाने के संबंध में कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत आय व पारिवारिक सहयोग तथा फाइनेंस कराकर उक्त बस को वर्ष 2001 में क्रय किया गया था। 2001 से आयकर रिटर्न

फाइल कर रहा है, किंतु रंजिशन झूठी कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को कुर्क कर लिया गया है। उक्त वाहन के संबंध में सूची 8ख से का.सं.–240 ता 270 प्रपत्र दाखिल किये गये है, जिनमें वाहन की किस्त से संबंधित रसीदें व पर्टीकूलर है, किंतु उक्त प्रपत्रों से यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा कितनी धनराशि डाउन पेमेंट की गयी थी और किस्त की धनराशि किस आय के स्रोत से अदा की जाती थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख न तो आपत्ति में किया गया है और न ही उक्त प्रपत्रों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त अवधि का कोई भी आयकर रिटर्न नहीं दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा किया गया यह कथन कि उक्त वाहन उसकी व्यक्तिगत आय व पारिवारिक सहयोग से क्रय किया गया था, संतोषजनक नहीं है।

14. जहां तक **कम सं. 10** पर अंकित वाहन रजिस्ट्रेशन सं. यू.पी.67एफ4444 स्कार्पियों को कुर्क किये जाने का प्रश्न है, उक्त वाहन मु.अ.सं.–180/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 114, 34 भा.दं.सं., थाना पिपरी, सोनभद्र की केस प्रापर्टी है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन को दिनांक 12.10.20210 को क्रय किया गया था तथा यह भी कथन किया गया कि इसके पूर्व अभियुक्त के पास सफारी गाड़ी थी जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बीमा धन. राशि मिली थी, उससे खरीदी थी। इससे संबंधित प्रपत्र 8ख/271 ता 8ख/288 तक है। उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद किस बीमा कंपनी द्वारा उक्त धनराशि अभियुक्त को प्रदान की गयी है, इसका कोई प्रपत्र दाखिल नहीं है। जो इकरारनामा 50 रुपये के स्टाम्प पर मो. कामिल व अभियुक्त के मध्य दिनांक 12.02.2011 को निष्पादित है, से कामिल द्वारा 2,25,000 रुपये जरिये बैंकर्स चेक दिये जाने तथा शेष 5,33,000/– रुपये इंश्योरेंस कम्पनी से वाहन स्वामी/अभियुक्त को मिलने का उल्लेख है, किंतु उक्त धनराशि अभियुक्त को प्राप्त होने के संबंध में कोई भी प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त का.सं.–8ख/289 ता 8ख/299 तक, जो इनकम टैक्स रिटर्न मेमो दाखिल किये गये है, वे वित्तीय वर्ष 2010–2011 से 2019–2020 तक के है। कुर्क वाहन स्कार्पियो यू.पी.67एफ.4444 का पंजीकरण वर्ष 2010 में हुआ है, को क्रय किये जाने हेतु बीमा कंपनी से प्राप्त धनराशि रुपये 5,32,400/– चेक सं. 429115 दिनांक 06.04.2011 को प्राप्त हुई थी, जैसा कि आपत्ति के पैरा 21 में अंकित है, जबकि वाहन स्कार्पियो वर्ष 2010 में क्रय की जा चुकी थी। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण तथ्यों से मेल नहीं खाता और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त व उसके भाईयों को गैंग का सदस्य बना दिया गया है जबकि परिवार के सदस्यों का गैंग नहीं हो सकता। इस तर्क के सापेक्ष गिरोह शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

2(बी)– **"Gang"** means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage for himself or any other person, indulge in anti&social activities, namely-

उक्त परिभाषा में गिरोह सृजित किये जाने हेतु आवश्यक अवयवों में किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग अथवा परिवार के सदस्य होने के आधार पर विभेद नहीं किया गया है, बल्कि धारा–2(सी) के अनुसार - **"gangster"** means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities;" (गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियाबी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या

अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से कार्य करते है तो उन्हें गिरोह का सदस्य माना जाता है।) विधि व्यवस्था व**र्णित कुमार बनाम उ.प्र. राज्य, 2009 (1) इलाहाबाद कि. जनरल 377** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि ''गिरोह की परिभाषा लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त करने या असम्यक दुनियाबी, आर्थिक, सारवान या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरक खण्ड ''अन्यथा'' को भी सम्मिलित करती है। जब अभियुक्त ऐसे समाज विरोधी कृत्य में संलग्न रहता है जैसा धारा–2ख(i) से (xiv) तक के अधीन वर्णित है। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था **बदन सिंह उर्फ बद्दो बनाम उ.प्र. राज्य 2002ए.सी.सी.365** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के वस्तुपरक निर्धारण के लिए सामग्री होना अनिवार्य है कि वह गिरोह का सदस्य है, नेता है या संगठनकर्ता है, जिसने अधिनियम के अधीन कोई अपराध करके किसी सम्पत्ति को अर्जित किया है उसके आपराधिक कृत्य और उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति के मध्य संबंध होना चाहिए।'' उल्लेखनीय है कि गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त अनिल सिंह पर वर्ष 2005 से 2019 तक एक ही प्रकृति के आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हुए है, जिनमें अविधिक जमाव कर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना व हत्या जैसे मुकदमें पंजीकृत है। स्वीकृत रूप से अभियुक्त नगर पंचायत रेनुकूट का अध्यक्ष रहा है जो एक लोक सेवक की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सामान्यतः कोई भी फौजदारी वाद पंजीकृत नहीं होता है। उक्त मुकदमें अभी विचाराधीन है। यद्यपि जब तक किसी को दोषी सिद्ध न कर दिया जाए जब तक वह निर्दोष होता है। किंतु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त की अविधिक आय से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के संबंध में निष्कर्ष दिया जाना है और अभियुक्त द्वारा अपनी आपत्ति में जो कथन किया गया है और उसके सापेक्ष जो प्रपत्र बैनामे आदि दाखिल किये गये है, उनसे अर्जित सम्पत्ति की आय का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। अभियुक्त की तरफ से दाखिल विधि व्यवस्थाएं वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न होने के कारण अनुक. रणीय नहीं है।

16. ऐसी स्थिति में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2021 जो अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और विधिक प्रावधानों के आलोक में पारित किया गया है, में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और उसमें हस्तक्षेप किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अत : अभियुक्त की आपत्ति निरस्त करते हुए आदेश दिनांकित 31.03.2021 पुष्ट किये जाने योग्य है।

–आदेश–

17. अभियुक्त अनिल सिंह द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2021 के विरूद्ध, प्रस्तुत आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा वाद सं. 1820/2020, कम्प्यूटरीकृत वाद सं. डी. 202016660001820, सरकार बनाम अनिल सिंह, अं.धारा–14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में पारित आदेश दिनांकित 31.03.2021 पुष्ट किया जाता है।

18. विद्वान जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संदर्भित पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ अनुपालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को अविलम्ब वापस प्रेषित की जाए तथा बाद आवश्यक कार्यवाही प्रकीर्ण फौजदारी वाद की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार की जाए।

दिनांक–20.06.2026

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.),
14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश,
(गैंगेस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ.कोड.– यू.पी.1822

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–20.06.2026

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.),
14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश,
(गैंगेस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ.कोड.– यू.पी.1822